न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी – नरेश बुनकर, RAS

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 08/2022
रजिस्ट्रेशन नं. :2022/12

राजस्थान राज्य जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बॉसवाडा (राज)

बनाम

अभियुक्त :–

1. अशोक पुत्र श्री सागरमलजी जैन मैसर्स:– पार्श्वनाथ ट्रेडर्स, हनुमान मन्दिर के पास, नवागांव, बांसवाडा
2. प्रतिक पुत्र श्री संजय कुमारजी जैन मैसर्सः– पारस ट्रेडर्स, 33–A Behind Old Bus stand, Banswara
3. जय प्रकाश राठौर मैसर्सः– जय होम इण्डस्टीज, 72 Food Park, Jaggakhedi Industrial Area, Sajeet Road Mandsaur (MP)

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 22.03.2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि श्री दिलीप सिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बॉसवाडा (राज.) के द्वारा दिनांक 25–02–2022 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 04–03–2021 को 04.00 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थो की जॉच हेतु **पार्श्वनाथ ट्रेडर्स, हनुमान मन्दिर के पास, नवागांव, बांसवाडा** पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर **श्री अशोक पुत्र श्री सागरमलजी जैन** उपस्थित थे। विक्रेता की दुकान का निरीक्षण करने पर **धनिया पाउडर (ब्राण्ड– रजवाडी)** के 5 पैक कट्टे प्रत्येक कट्टे में 100 ग्राम के मूल पैकेट आम जनता को विक्रय हेतु पाया। इसमें मिलावट का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर पर सूचना देते हुए **आम जनता को बिक्री हेतु रखे धनिया पाउडर (ब्राण्ड– रजवाडी) के बीस मूल पैकेट** को वास्ते नमुना जॉच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की। नमूना जॉच हेतु खरीदशुदा **धनिया पाउडर (ब्राण्ड– रजवाडी)** के बीस मूल पैकेट के चार हिस्सा करके चार पैकेट अलग अलग बनाकर नियमानुसार सील बन्द किया। मौके पर बिल नही होना बताया बाद में मैसर्स पारस ट्रेडर्स बॉसवाडा का बिल नं. 70 दिनांक 27.11.2020 की प्रति

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.04.18 13:08:03 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाड़ा (राज.)

पेश की जिसके द्वारा उक्त धनिया पाउडर (ब्राण्ड रजवाडी) की खरीद की गई है। उक्त नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटकवर में सील बन्द कर सील मोहर कर जांच हेतु अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2021/157–158 दिनांक 09.04.2021 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 44 दिनांक 17.03.2021 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया **धनिया पाउडर (ब्राण्ड– रजवाडी)** का नमुना violate food safety & standards (Packaging and Labelling) Regulation 2011, hence it is declare Misbranded also under section 3(1)(zf)(A)(i) of food safety and standerds act 2006 पाया गया। अप्रार्थीगणो द्वारा **धनिया पाउडर (ब्राण्ड– रजवाडी)** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 25–02–2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपीगणो को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 22.03.2022 को अभियुक्त **अशोक पुत्र श्री सागरमलजी जैन, प्रतिक पुत्र श्री संजय कुमारजी जैन, जय प्रकाश राठौर मैसर्सः– जय होम इण्डस्ट्रीज** ने न्यायालय में उपस्थित होकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है। प्रकरण में आरोपी द्वारा अपराध स्वीकार कर लेने के कारण अन्य किसी साक्ष्य की अब आवश्यकता नहीं रहती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अभियुक्तगणो को सुना। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का भी गहनता पूर्वक अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2021/157–158 दिनांक 09.04.2021 एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 44 दिनांक 17.03.2021 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया धनिया पाउडर (ब्राण्ड– रजवाडी) का नमुना violate food safety & standards (Packaging and Labelling) Regulation 2011, hence it is declare Misbranded also under section 3(1)(zf)(A)(i) of food safety and standerds act 2006 पाया गया है। प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.04.18 13:08:03 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति.जिला कलक्टर)
बांसवाडा (राज.)

में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नही होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zf)(A)(i) के तहत मिसब्राण्डेड **धनिया पाउडर (ब्राण्ड– रजवाडी)** को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 52 का उल्लंघन किया है आरोपीगणो को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर **अशोक पुत्र श्री सागरमलजी जैन मैसर्स:– पार्श्वनाथ ट्रेडर्स, हनुमान मन्दिर के पास, नवागांव, बांसवाडा को रूपये 10,000/– (अक्षरे रू दस हजार मात्र), प्रतिक पुत्र श्री संजय कुमारजी जैन मैसर्स:– पारस ट्रेडर्स, 33–A Behind Old Bus stand, Banswara को रूपये 10,000/– (अक्षरे रू दस हजार मात्र), जय प्रकाश राठौर मैसर्स:– जय होम इण्डस्टीज, 72 Food Park, Jaggakhedi Industrial Area, Sajeet Road Mandsaur (MP) को रूपये 25,000/– (अक्षरे रू पच्चीस हजार मात्र)** के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800–अन्य प्राप्तियां, (03)–खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा–पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बॉसवाडा आरोपी को जुर्माना राशि का चालान जमा कराने पाबंद करे तथा जमा राशि का चालान प्राप्त कर प्रति इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 22.03.2022 खुले न्यायालय सुनाया गया।

(नरेश बुनकर)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति0 जिला कलेक्टर)
बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2022.04.18 13:08:03 IST
Reason: SelfAttested